न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. : 19/2023	तारीख रजू 14.12.2023	निर्णय दिनांक 29.02.2024

सरकार बनाम रामजीलाल शर्मा

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि रामजीलाल शर्मा पुत्र हरबक्स शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बडीला तह0 बामनवास ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 405 रकबा 4800 वर्गफीट, मंदिर माफी भूमि पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से पक्की दासाबन्दी कर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा ख0नं0 405 में खातेदारों से विक्रय पत्र द्वारा 2004 सन् में प्लॉट क्रय किया था उस समय उक्त खसरे में पूर्णतया आवासीय कॉलोनी थी उसी समय प्रार्थी ने इसमें पक्की बाउण्ड्री दासाबन्दी का निर्माण मालिकाना हेतु कर लिया गया था। उक्त खसरा क्रमांक में सैकडों मकान बने हुये है यह पूर्णतः आवासीय कॉलोनी है, तथा सैकड़ों परिवार निवास कर रहे है अतः प्रार्थी को 20 वर्ष बाद नोटिस दिया जाना पूर्णतया अवैधानिक है। मेरे आवासीय भूखण्ड वाली कॉलोनी में 35–40 वर्षों से कॉलोनी बसी हुई जिसमें कई सैकड़ों मकानात शामिल है फिर राजस्व विभाग द्वारा आवासीय भूखण्डों को ही नोटिस देना प्राकृतिक न्याय के विपरीत है अत' उक्त क्रय भूखण्ड को अतिक्रमण की श्रेणी में नही मानकर समानता, मानवाधिकार एवं प्राकृतिक न्याय को ध्यान में रखते हुए नोटिस निरस्त फरमाने की कृपा करें। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

गैरसायल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जबाव में भूमि ख0नं0 405 में पक्की बाउण्ड्री, दासाबन्दी का निर्माण करना अंकित किया है तथा उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा जिस भूमि पर अवैध अतिचार किया है वह मंदिर माफी की भूमि है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभयपक्षकारान को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/– की 50 गुना शास्ति 50/–रुपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। पटवारी हल्का गंगापुर सिटी को आदेशित कर निर्देश दिये जाते है कि ख0नं0 405 व आस–पास स्थित अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जाँच कर, नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ..3.....
पर रुपये 50/– की कायमी वर्ष
2023–24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार